स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. के सदस्यों के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

1. हमने स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन के 31 मार्च 2011 को यथास्थिति संलग्न तुलन–पत्र एवं उसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ तथा हानि लेखे और रोकड़ प्रवाह विवरणिका की लेखा–परीक्षा की है, जिसमें हमारे द्वारा लेखा–परीक्षित कार्पोरेट कार्यालय और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा अन्य शाखाओं के लेखे शामिल हैं। ये वित्तीय विवरणिकाएँ कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा–परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणिकाओं पर मत व्यक्त करना है।

2. हमने अपनी लेखा–परीक्षा प्रायः भारत में स्वीकृत लेखा–परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम इस बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाकर लेखा–परीक्षा का निष्पादन करें कि क्या वित्तीय विवरणिकाएँ वास्तविक गलत विवरण से मुक्त हैं। लेखा–परीक्षा में जांच के आधार पर वित्तीय विवरणिकाओं में उल्लिखित धनराशियों और प्रकटनों के समर्थनकारी साक्ष्य की जांच शामिल होती है। किसी लेखा–परीक्षा में प्रबंधन द्वारा की गई समग्र वित्तीय विवरणिका प्रस्तुति और प्रयुक्त लेखा सिद्धान्तों और महत्वपूर्ण अनुमानों पर एक आकलन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा–परीक्षा हमारे मत हेतु एक उपयुक्त आधार प्रदान करती है।

3. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227(4ए) के संदर्भ में भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए कम्पनियों के आदेश 2003 (लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट) द्वारा यथापेक्षित हम उक्त आदेश के पैरा 4 तथा 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण संलग्न करते हैं।

   उपर्युक्त पैरा 3 के अनुलग्नक में दी गई हमारी टिप्पणियों के बाद हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं :

4. (क) रद्दी माल की संविदाओं से संबंधित अनुसूची 23, नोट संख्या 3 (ए) के संदर्भ का ध्यान दिलाया जाता है जहाँ कि खरीद और बिक्रियों के लेन–देन और बिजनेस एसोसिएट के साथ की गई संविदा की शर्तों में मेट्रो मशीनरी ट्रेडर्स, नई दिल्ली की ओर से वसूलियाँ नहीं हुई हैं। कम्पनी ने बिजनेस एसोसिएट द्वारा जालसाजी का आरोप लगाया है और मामला सीबीआई को सुपुर्द किया गया है। हम यह भी समझते है कि दो भूतपूर्व निदेशकों और एक महा प्रबंधक को आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। तथापि, आरोप पत्रों और पूछताछ के विवरणों की अनुपस्थिति में हम यह मत व्यक्त करने में असमर्थ हैं कि उपर्युक्त सौदे के सम्बन्ध में इन लेखों में कोई जालसाजी अथवा संदिग्ध प्रबंधन की जालसाजी या किसी गलत विवरण पर कोई टिप्पणी की गई है। वसूली/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच हेतु उठाए गए कानूनी कदमों के विलंबित परिणाम हेतु, पूर्व वर्षों में रु. 8739 लाख का पूरा प्रावधान किया गया था।

   (ख) प्रियंका ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (बिजनेस एसोसिएट) की ओर से किए गए गेहूँ के सौदे संबंधी अनुसूची 23 नोट सं. 3(बी) की ओर ध्यान दिया जाता है, गुणवत्ता की समस्याओं के कारण माल का निपटान और वसूली संविदा के अनुसार नहीं हुई तथा गेहूँ का निपटान न किया गया स्टॉक था और बिजनेस एसोसिएट तथा सप्लायर से वसूल न की गई राशि बकाया थी। बंगलादेश को नियमित किए गए उठाए न गए स्टॉक की चोरी और गबन का मामला भी सामने आया है जिसके लिए कानूनी कार्रवाई की गई है। आगे, चूंकि मामला अभी तक सुलझाया नहीं गया है, एफ सी आई से प्रापण गेहूँ की 30392.010 मीट्रिक टन की मात्रा का निर्यात न होने हेतु केन्द्रीय बिक्री कर दायता जो अतिरिक्त है, उसका पता नहीं लगाया जा सका है। कानूनी कदमों के विलंबित परिणाम आरंभ हो चुके हैं, भारतीय खाद्य निगम से वसूली योग्य सहित रु. 5841 लाख के कुल देयों का पूर्व वर्षों में प्रावधान किया गया है। बट्टे खाते में लिया गया है।

   (ग) लेखों के नोट, अनुसूची 23 के नोट सं. 3(डी) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो झागडिया कॉपर लिमिटेड से बकाया रु. 12199 लाख से सम्बन्धित है जो लिक्विडेशन के अधीन है और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इण्डिया) लि. द्वारा पुनः गठन की प्रक्रिया में है। इनका वित्तीय प्रभाव इस स्थिति में पता नहीं लगाया जा सकता है।

   (घ) ग्लोबल स्टील फिलीपिन्स से देय फुटकर देनदारों के रु. 1,13,793 लाख से संबंधित लेखों के नोट्स, अनुसूची–23 के नोट सं. 3(डी) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिन्होंने कीमतों की अत्यधिक अस्थिरता के कारण अपने संयंत्रों के कार्य रोक दिये हैं। हालांकि बकाया स्टॉकों को गिरवी रखने और पोस्ट डेटिड चेकों के माध्यम से प्राप्त कर लिये गये हैं तथा घारक कंपनी की कार्पोरेट गारंटियों थी लेकिन बिक्री के लिये विचारार्थ संयंत्र और मशीनरी के विस्तृत मूल्यांकन की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस अवस्था में लेखों पर वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।

   (ङ) उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से वित्तीय अनुमोदनों के लिए विलम्बित अंतरीय वास्तविक व्यापारिक हानियों के फलस्वरूप रु. 8167 लाख के दावों का बुकिंग से संबंधित लेखों के नोट अनुसूची 23 के नोट संख्या 3(ई) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

   (च) एग्जिम बैंक बीमा लिंक पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट सुविधा के अधीन निर्यात से प्रभावित के विरुद्ध रु. 39761 लाख के असुरक्षित अतिदेय (ओवरड्यू) संबंधी टिप्पणी सं. 3(एल) की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

(छ) 2008–09 के दौरान मैसर्ज गुजराज राज्य सिविल आपूर्ति भारत सरकार को पीडीएस की आपूर्ति में हुई हानि की प्रतिपूर्ति के लिए फुटकर देनदारों के रु. 494 लाख के प्रावधान न होने से संबंधित लेखों के नोट्स अनुसूची 23 के नोट में 3(एच) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ज) व्यक्तिगत लेखों और परिणामी समायोजनों के विलंबित मेल मिलान से संबंधित लेखों के नोट्स अनुसूची 23 के नोट संख्या 3(जे) और 6(ए) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(झ) अनुषंगी कंपनी (एसटीसीएल) में निवेश के मूल्य में डिमिन्युशन के प्रावधान न होने से संबंधित लेखों के नोट्स अनुसूची 23 के नोट संख्या 4 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

5. हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं :

(क) हमने दो भूतपूर्व निदेशकों और एक महा प्रबंधक पर लगाए गए प्रभारों से संबंधित सूचना और उपर्युक्त पैरा 4(ए) में संदर्भित सौदे के संबंध में जांचों के विवरण को छोड़कर वे सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखा–परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे और जैसाकि रिपोर्ट में अन्यत्र कहा गया है, के सिवाय और कंपनी के सतर्कता प्रभाग के द्वारा देखे जा रहे मामलों के रिकॉर्ड और ऐसे जाँच किए जा रहे मामलों पर परिणामस्वरूप वित्तीय प्रभाव को खातों में दर्शाना;

(ख) हमारी राय में कम्पनी द्वारा कानून के अंतर्गत यथापेक्षित लेखा बहियां रखी जाती हैं जहां तक कि ऐसी बहियों की हमारी जांच से प्रकट होता है कि जिन शाखाओं की हमने लेखा परीक्षा नहीं की है उनसे हमारी लेखा–परीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त उचित विवरणियां प्राप्त हुई हैं। अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय शाखाओं के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार किया गया है।

(ग) इस रिपोर्ट के तहत संदर्भित तुलन–पत्र और लाभ एवं हानि लेखे और रोकड़ प्रवाह विवरणिका बहियों की विवरणियों के अनुरूप हैं;

(घ) हमारी राय में लाभ और हानि लेखा तथा तुलन–पत्र और रोकड़ प्रवाह विवरणिका कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211(3सी) में सन्दर्भित आवश्यक लेखा मानकों का पालन करते हैं;

(ङ) कंपनी मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 21.10.2003 अधिसूचना सं. जीएसआर 829(ई) की शर्तों में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1)(जी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(च) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखे उपर्युक्त पैरा 4(ए) से (आई) में दी गई टिप्पणियों के अधीन हैं, जिनके सम्बन्ध में प्रावधान और बट्टे खाते, उक्त पैराग्राफ में रिपोर्ट किये गए के अनुसार विद्यमान और ज्ञात परिस्थितियों पर आधारित लेखों में किये गए हैं और ये महत्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा लेखों की टिप्पणी में प्रदर्शित अन्य टिप्पणियों के साथ पठित हैं जो कम्पनी अधिनियम 1956 की अपेक्षा के अनुसार उपयुक्त सूचना देते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों की पुष्टि में सही और उपयुक्त मत भी देते हैं –

1. 31 मार्च, 2011 को यथास्थिति कम्पनी के मामलों पर तुलन–पत्र के मामले में;
2. उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु लाभ के लिए लाभ और हानि खाते के मामले में,
3. उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु कम्पनी के रोकड़ प्रवाह हेतु रोकड़ प्रवाह विवरणिका के मामले में।

चंडोक और गुलियानी
चार्टर्ड लेखाकार
फार्म रजिस्ट्रेशन सं. 001199एन

ह./–
वी.के. लल्ला
साझीदार
सदस्यता सं. 080847

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 24.6.2011

वर्ष 2010–11 हेतु लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर

सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ	प्रबंधन के उत्तर
1. रद्दी माल की संविदाओं से संबंधित लेखों के नोट सं. 3(ए) अनुसूची 23 के संदर्भ में ध्यान आकर्षित किया जाता है जहाँ मेट्रो मशीनरी ट्रेडर्स, नई दिल्ली (व्यवसाय–एसोसिएट) के साथ खरीद और बिक्रियों के लेन–देन और वसूलियाँ, संविदा के अनुसार नहीं हुई थीं। कम्पनी ने व्यवसाय एसोसिएट द्वारा जालसाजी का आरोप लगाया है और मामला सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया है। हम यह भी समझते हैं कि दो भूतपूर्व निदेशकों और एक महाप्रबंधक को आरोप पत्र प्रस्तुत किये जा चुके हैं तथापि आरोप पत्र और जांचों के विवरण की अनुपस्थिति में हम यह बताने में असमर्थ हैं कि उपर्युक्त सौदों के सम्बन्ध में क्या कोई जालसाजी या संदिग्ध प्रबंधन जालसाजी है और इन लेखों में की गई गलतबयानी पर कोई टिप्पणी की गई है। सीबीआई जांच/वसूली हेतु उठाए गए कानूनी कदमों के लंबित निष्कर्ष, पूर्व वर्षों में रु. 8739 लाख का पूर्ण प्रावधान किया गया।	जहां तक भूतपूर्व निदेशकों, भूतपूर्व महाप्रबंधक को जारी किए गए आरोप पत्रों का संबंध है, इन्हें सतर्कता विभाग द्वारा जारी किया गया है जिसके लिए कागजात मंत्रालय/कार्पोरेशन के सर्तकता विभाग की अभिरक्षा में हैं जो गोपनीय प्रकृति के हैं। आरोप पत्र पद्धतिगत कमियों के संदर्भ में जारी किए गए हैं और इसलिए कोई जालसाजी या संदिग्ध प्रबंधन जालसाजी नहीं हुई है। पर्याप्त सतर्कता के मामले में पूर्व वर्षों में रुपए 8739 लाख का प्रावधान किया गया है। कंपनी को शेष स्टॉकों सहित एसोसिएट की सम्पत्तियों की बिक्रियों से वसूलियों सहित कानूनी आश्रय द्वारा उसी राशि की वसूलियों का विश्वास है जिन्हें अदालत के आदेश से कुर्क घोषित कर दिया गया है। कंपनी के पक्ष में मध्यस्थता पंचाट पहले ही तय किया जा चुका है और यह कार्यान्वयन किये जाने की प्रक्रिया में है।
2. एक व्यवसाय एसोसिएट हेतु किये गए गेहूँ के सौदों से संबंधित लेखों के नोट सं. 3(बी) अनुसूची 23 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, गुणवत्ता की समस्याओं के कारण माल का निपटान और वसूली संविदा के अनुसार नहीं हो पाए हैं तथा व्यवसाय एसोसिएट और आपूर्तिकर्त्ता से गेहूँ के निपटान न किए गए स्टॉक तथा वसूल न की गई राशि शेष थे। बंगलादेश को निर्यात किए गए न उठाए गए स्टॉकों की चोरी और गबन का मामला सामने आया है जिसके लिए कानूनी कार्रवाई की गई है। कानूनी कदमों द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। एफसीआई से वसूली योग्य सहित संपूर्ण बकाया राशि जो रु. 5841 लाख है, पहले के वर्ष में प्रावधान कर दी गई है/बट्टे खाते में डाल दी गई है। आगे चूँकि मामला अभी नहीं निपटा है, एफसीआई से प्रापण किये 30392.010 मी.टन. गेहूँ के न निर्यात होने से केन्द्रीय बिक्री कर दायता की अतिरिक्त राशि का पता नहीं लगाया जा सका है। लाभ व हानि लेखे का प्रभाव अज्ञात है।	कंपनी ने रुपए 5841 लाख का प्रावधान किया है कि जिसमें 2008–09 तक रुपए 547 लाख शामिल हैं। तथापि, ये दावे व्यवसाय एसोसिएट से वसूली योग्य है और प्रबंधन को इनकी वसूली का विश्वास है। एफसीआई द्वारा जारी की गई कुल मात्रा के संबंध में निर्यात प्रलेख प्रस्तुत किये जा चुके हैं और इसलिए किसी भी बिक्रीकर देयता के उठने की संभावना नहीं है। एफसीआई से देयों की वसूली और एच व सी रूपों में की प्रस्तुति के मुद्दे के समाधान के लिये मामले को पीएमए को भेजा गया है।
3. एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा झगादिया कापर लिमिटेड से, जो कंपनी परिसमापन और पुनर्रचना की प्रक्रिया में है, रु. 12199 लाख के देयों से संबंधित नोट सं. 3सी, अनुसूची 3 के संदर्भ में ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस अवस्था में इसके वित्तीय प्रभाव के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता।	झगादिया कॉपर लि. से वसूली योग्य कंपनी द्वारा स्टॉकों को गिरवी रखके (एसटीसी के पक्ष में) प्राप्त किये गए हैं। स्टॉक केन्द्रीय माल गोदाम कार्पोरेशन की अभिरक्षा में है। स्वतन्त्र सर्वेक्षकों द्वारा जारी किए गये अद्यतन मूल्यांकन प्रमाण–पत्र के अनुसार स्टॉकों का मूल्य रु. 28996 लाख (31.3.11 को) है। इसलिए बकायों के विरुद्ध कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।
4. ग्लोबल स्टील फिलीपीन से बकाया फुटकर देनदारों से संबंधित नोट सं. 3(डी), अनुसूची 23 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिन्होंने कीमतों की अत्यधिक अस्थिरता के कारण अपने संयंत्र का कार्य रोक दिया है। हालांकि स्टाकों को गिरवी रखने का पोस्ट–डेटिड चेकों और धारक कंपनियों की कार्पोरेट–गारंटियों के द्वारा बकाया प्राप्त कर लिये गए हैं तथापि, बिक्री हेतु विचार की जाने वाली संयंत्र और मशीनरी के विस्तृत मूल्यांकन की अनुपलब्धता को देखते हुए लेखों पर वित्तीय प्रभाव का इस अवस्था में पता नहीं लगाया जा सकता है।	ग्लोबल स्टील फिलीपीन से वसूली योग्य रु. 99065 लाख मूल्य के स्टॉकों को गिरवी रख के रु. 3112 लाख की ईएमडी, धारक कंपनी की कार्पोरेट गारंटी और ऑन–डेटिड चेकों के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं। कंपनी अपना संयंत्र बेचने की प्रक्रिया में है जिसके लिए मै. आईडीबीआई पूंजी बाजार सेवा, आईडीबीआई बैंक की एक पूर्ण स्वामित्व का अनुषंगी को 150 दिनों के भीतर सौदा पूर्ण करने के लिए कहा गया है। इसलिए बकायों के विरुद्ध कोई प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है।
5. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से वित्तीय अनुमोदन के लिये विलम्बित अंतरीय वास्तविक व्यापारिक हानियों के फलस्वरूप रु. 8167 लाख के दावों की बुकिंग से संबंधित लेखों के नोट सं. 3(ई), अनुसूची 23 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।	उपभोक्ता मामलों के मंत्रालयों के कार्यवृत दिनांक 14.2.11 व 25.4.11 के अनुसार 2008–09 व 2009–10 हेतु दावों को बेची गई मात्रा के आधार पर संशोधित किया गया है तथा रु. 8167 लाख की अंतरीय वास्तविक हानियों को उपयुक्त कार्यवृतों के अनुसार उपभोक्ता मामलों के मंत्रालयों से वसूली योग्य दावों की तरह वर्तमान वित्तीय वर्ष में बुक किया गया है।

6. एक्ज़िम बैंक इंश्योरेंस सम्बद्ध नौवहन पश्चात ऋण सुविधा के अधीन किए गए निर्यातों पर रु. 39717 लाख के असुरक्षित बकायों से सम्बन्धित अनुसूची 23 के नोट 3(जी) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

यूएई में जेवरात और संरचना क्षेत्र में गिरावट को देखते हुए विदेशी खरीदारों से निर्यात प्रक्रियाओं के पुनः प्रत्यर्पण में विलम्ब हुआ है। जहाँ अधिकतर खरीददार हैं, एसोसिएट ने प्रक्रियाओं के अर्जन के लिए और अधिक समय मांगा है। कम्पनी ने एक्जिम बैंक के साथ एक पुनर्गठन प्रस्ताव पर वार्ता की है जिसके अनुसार एसोसिएट उनके विदेशी खरीदारों से बकायों की वसूली के लिए कम्पनी के पास अब 2 से 5 वर्ष का अतिरिक्त समय उपलब्ध है। कुछ अधिक बकायों का पुनः भुगतान प्राप्त हो गया है तथा हमारे अथक प्रयासों से कम्पनी को पूर्ण वसूली का विश्वास है इसलिए बकाया निर्यात बिल के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

7. अनुसूची 23 के नोट संख्या 3(एच) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जो 2008–09 के दौरान मैसर्स गुजरात राज्य सिविल आपूर्ति, गुजरात सरकार की पीडीएस आपूर्ति मदों में हुई हानि की प्रतिपूर्ति के लिए रु. 494 लाख के फुटकर देनदारों के लिए प्रावधान न किए जाने के सम्बन्ध में है।

भारत सरकार की आर्थिक सहायता योजना के अधीन पीडीएस आपूर्ति हेतु मैसर्स गुजरात राज्य सिविल आपूर्ति कार्पोरेशन, गुजरात सरकार को 2008–09 के दौरान आरबीडीपीएलएन की आपूर्ति में हुई हानि की प्रतिपूर्ति के लिए यह राशि सम्बद्ध है। उक्त दावा भारत सरकार के पास इनकी पत्र सं. 12.1.2006 सी एण्ड पी दिनांक 4 मार्च 2008 के सन्दर्भ में प्रक्रिया के अधीन है जो यह उल्लेख करता है कि यदि पीएसयू को कोई हानि होती है तो उसे सरकार को वहन करना होगा। उसे देखते हुए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

8. व्यक्तिगत लेखों और परिणामी समायोजनों के विलम्बित मेल मिलान से सम्बन्धित लेखों के नोट अनुसूची 23 नोट सं. 3(जे) और 6(ए) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

व्यक्तिगत सौदों के निपटान के समय देनदारों/लेनदारों और देयताओं के शीर्षो का मेल मिलान किया जाता है। चूँकि निपटान एसोसिएट की सहमति से किया जाता है इसलिए अपनाई जाने वाली पद्धति पर्याप्त मानी जाती है।

9. अनुषंगी कंपनी (एसटीसीएल) में निवेश के मूल्य में डिमिन्यूशन के लिए प्रावधान न होने से संबंधित लेखों के नोट्स अनुसूची 23 के नोट सं. 4 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अनुषंगी कंपनी व्यवसाय में है और 2009–10 के दौरान व्यापारिक लाभ में रही है। इसके दीर्घावधि व्यवसाय योजना को ध्यान में रखते हुए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

10. कंपनी ने उपयुक्त रिकॉर्ड बना रखे हैं जो सिवाय अहमदाबाद शाखा को छोड़कर जहां स्थिर परिसम्पत्तियों के रजिस्टरों को अद्यतन नहीं किया गया है, इसकी स्थिर परिसम्पत्तियों के मात्रात्मक–विवरण और परिस्थितियों के उपयुक्त रिकॉर्ड दर्शा रहे हैं।

हालांकि यह आकलन केवल एक ही शाखा के बारे में किया गया है ताकि पुनरावृत्ति से बचा जा सके और आवश्यक अद्यातिकरण किया जा सके।

11. हमारे मत से हालांकि प्रत्यक्ष सत्यापन हेतु उपयुक्त पद्धतियां है और स्टॉक/मालसूचियों के सत्यापन हेतु समय–समय पर अनुदेश और मार्ग निर्देश जारी किये जाते हैं किन्तु इन सभी सामग्रियों हेतु इनका सख्ती से अनुपालन नहीं किया गया है जिन्हें तीसरी पार्टियों द्वारा हैण्डल किया है और जो उनकी अभिरक्षा में है।

शाखाओं और प्रभागों को माल सूचियों/स्टॉकों के सत्यापन हेतु नामांकित सर्वेक्षकों सहित आवधिक आधार पर एसटीसी के अधिकारियों द्वारा सत्यापन हेतु समय–समय पर अनुदेश और मार्ग निर्देश जारी किये गये हैं। आंतरिक लेखा परीक्षकों को उनकी तिमाही लेखा परीक्षाओं के दौरान हर प्रकार की निरीक्षण रिपोर्टों का सत्यापन करने की सलाह भी दी गई है। सख्ती से अनुपालन के लिए पुनः अनुदेश जारी किये गये हैं।

12. हमारे मत से और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार मालसूची स्थिर परिसम्पतियों की खरीद और माल की बिक्री के सम्बन्ध में कंपनी के आकार और व्यसवसाय की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण पद्धतियां हैं। आगे, हमारी जाँच के अनुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार हमनें आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों में प्रमुख कमियों को ठीक करने में निरन्तर असफलता के कोई उदाहरण नहीं देखे हैं, तथापि पेशगियों और अन्य दावों की समीक्षा, तथा वसुलियों फुटकर देनदारों/लेनदारों के शेषों के मेलमिलान से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों को मजबूत किये जाने की आवश्यकता है।

देनदारों, पेशगियों और अन्य दावों की संबंधित शाखाओं/प्रभागों द्वारा निरंतर रूप से समीक्षा की जाती है। इनकी कार्पोरेट कार्यालय के स्तर पर भी समीक्षा की जाती है तथा संबंधित शाखाओं और प्रभागों को समय–समय पर आवश्यक अनुदेश जारी किये जाते हैं। तिमाही आधार पर देनदारों पर एक स्थिति नोट बोर्ड को प्रस्तुत किया जाता है। आगे प्रणाली को प्रबल बनाने के लिये बकायों की समीक्षा हेतु ऋण समीक्षा कमेटी पहले ही बना दी गई हैं।

ह./–
(एन.के. माथुर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ह./–
(एन.के. निर्मल)
निदेशक (वित्त)